मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

"मंत्रालय"

क्रमांक सी/5-1/2002/3/एक

भोपाल, दिनांक 4 मई, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.— शासकीय सेवकों को चल-अचल सम्पत्ति का अर्जन अथवा निर्माण करने के संबंध में आचरण नियमों के अन्तर्गत स्वीकृति देने के संबंध में.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में शासकीय सेवकों द्वारा जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति के अर्जन एवं हस्तांतरण की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देने/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने संबंधी विस्तृत प्रावधान हैं.

2. शासन के ध्यान में यह बात आई है कि सक्षम प्राधिकारी, सम्पत्ति में निवेषित किये जाने वाले स्त्रोतों के संबंध में बिना भली-भांति जांच-पड़ताल किये संबंधित शासकीय सेवकों को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, जिससे आचरण नियमों में इस प्रकार के प्रावधान करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है. आचरण नियमों में इस प्रकार के प्रावधान करने का उद्देश्य ही यह है कि किसी भी चल या अचल सम्पत्ति में लगने वाले आय के स्त्रोतों का भली-भांति परीक्षण कराया जाये जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन न मिले.

3. अतः भविष्य में आचरण नियमों के तहत् जब कोई शासकीय सेवक सम्पत्तियों के अर्जन/निर्माण की अनुमति मांगता है, तो प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति देने के पूर्व संबंधित शासकीय सेवक के आय के स्त्रोतों के संबंध में भली-भांति परीक्षण/जांच-पड़ताल कर ली जावे.

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.